


भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में “फिजियोथेरेपिस्ट श्रवसन चिकित्सक” के लिए भर्ती नियमों के
मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी.
14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में
“फिजियोथेरेपिस्ट श्रवसन चिकित्सक” के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिधारक इच्छुक टिप्पणियाँ अथवा सुझाव देने के लिए
टिप्प/भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी
(एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई
दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ईमेल -
कर सकते हैं।


(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23061521

नई दिल्ली
दिनांक :

नई दिल्ली, तारीख : 2019

अधिसूचना

सा.का.नि. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में फिजियोथेरेपिस्ट(श्वसन चिकित्सक) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, फिजियोथेरेपिस्ट(श्वसन चिकित्सक), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2019 है।
 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता, आदि – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

३

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आगु सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
फिजियोथेरेपिस्ट (श्वसन चिकित्सक)	2* (2019)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'खु', अराजपत्रित अनुसार सेवाएँ परिवर्तन किया जा सकता है।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6	चयन (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदर्शों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	30 वर्ष तक	

टिप्पण :- आयु -सीमा अवधारित करने के लिए निर्णियक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, क्रिप्पा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्मीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहंताएं	
		वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंताएं प्रोत्त्र व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवेक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	लागू नहीं होता	दो वर्ष
अनिवार्यः			
(i) अथवा	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपी में स्नातक डिग्री,		
(ii) तथा	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से श्वसन थेरेपी में स्नातक डिग्री,		
(iii) व्यावाहारिक अनुभव ।	कम से कम 100 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल या किसी निजी अस्पताल से फिजियोथेरेपी में दो वर्ष का		
वांछनीय			
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से (फिजियोथेरेपी) में कार्डियोपत्नोनरी थेरेपी में स्नातकोत्तर डिग्री ।			
टिप्पणी-1 अहंताएं, अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पणी-2 अनुभव संबंधी अहंताएं, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संगावना नहीं है।			

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोनंति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा निभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती रिक्तियों की प्रतिशतता ।

(10)

प्रोनंति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोनंति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।

100 % सीधी भर्ती द्वारा

टिप्पणी 1- पदधारी के प्रतिनियुक्त या लाब्धी बिमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्ति केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भरी जाएगी-

- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सहशा पद धारण किए हुए हैं; और
- (ii) जो पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अहताएं तथा अनुभव रखते हों।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोनंति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।

(12)

विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें नियमित होंगे -

- (i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल
- (ii) संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल
- (iii) उप निदेशक (प्रशासन), डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल
- (iv) प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल

(13)

लागू नहीं होता

- अध्यक्ष
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य

(ए.12018/09/2018-एम एच ॥)